बिहार मार्गीय सुविधा प्रोत्साहन योजना 2022 के तहत आवेदन करने हेतु महत्वपूर्ण निर्देश।

1. इस योजना की परिचालन दिशा–निर्देशिका वेबसाईट पर उपलब्ध है। सभी निर्देशों एवं प्रावधानों का अच्छी तरह से अध्ययन करने के उपरांत ही आवेदन की प्रक्रिया आरंभ करें।

2. विभागीय वेबसाईट से आवेदन पत्र को डाउनलोड करें एवं चेक लिस्ट के अनुसार समुचित दस्तावेज तैयार कर लें।

3. आवदेन हेतु निर्धारित ₹ 5,000/– (पाँच हजार रूपये) का शुल्क डिमांड ड्राफ्ट के रूप में स्वीकार्य होगा। डिमांड ड्राफ्ट निदेशक, पर्यटन निदेशालय, बिहार, पटना (Director, Directorate of Tourism, Bihar, Patna-15) के नाम से देय होगा। अन्य किसी माध्यम से भुगतान किये गये शुल्क स्वीकार्य नहीं होंगे।

4. आवेदन में सूचनायें स्पष्ट एवं उचित विवरण के साथ अंकित की जानी चाहिए। आवेदन के साथ सभी दस्तावेज एवं डिमांड ड्राफ्ट संलग्न होना चाहिए।

5. आवेदक सचिव, पर्यटन विभाग, बिहार, पटना के नाम से संबोधित आवेदन को बंद लिफाफे में मार्गीय सुविधा कोषांग पर्यटन विभाग में समर्पित करेंगे।

6. आवेदन की प्रक्रिया दिनांक 07.08.2023 से आरंभ की जा रही है।